इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त
करने के लिए अपने गर्भवती होने की
जानकारी के बाद जितनी जल्दी हो सके
आंगनवाड़ी केंद्र पर अपना नाम पंजीकरण कराएं।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना –

सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम केवल पंचकूला जिले में प्रयोगिक आधार पर) गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधी जरूरतों की पूर्ति हेतू नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करके अनुकूल वातावरण के निर्माण में योगदान करना इस स्कीम का उद्देश्य है। इस स्कीम को आई.सी.डी.एस. स्कीम के मंच से क्रियान्वित किया जायेगा। गांव स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्र इस स्कीम को चलाने के केन्द्र बिन्दू होगें।

उद्देश्य

गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय करना:

- गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव तथा स्तनपान के समय उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना।
- शिशुओं को जन्म के पश्चात यथाशीघ्र और पहले छह माह तक केवल स्तनपान कराने सहित शिशुओं एवं छोटे बच्चों की उपयुक्त आहार पद्धतियों का पालन करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना ।
- गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतू नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करके अनुकूल वातावरण के निर्माण में योगदान करना ।

लक्षित वर्ग

- पहले दो जीवित शिशुओं के जन्म के लिए 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं (मृत शिशु का जन्म होने पर स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ दिए जाएंगे)

- किसी भी सरकारी (केन्द्र एवं राज्य कर्मचारी) / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि वे सवेतन प्रसूति अवकाश की पात्र हैं।
- गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली आंगनवाडी कार्यकर्ता व हैल्पर जो सवेतन प्रसूति अवकाश प्राप्त नहीं कर रही है वे इस स्कीम की पात्र हैं।

लाभार्थी

गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं

कार्यक्रम तथा सेवाएं

- इस स्कीम को मौजूदा आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठ (Cell) के माध्यम से स्तर / जिला स्तर / ब्लाक स्तर पर चलाया जायेगा।
- स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधी जरूरतों की पूर्ति में सहायता करने के उद्देश्य से प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से बच्चे की आयु 6 माह हो जाने तक कुल 4000 / – रू० की राशि निम्नलिखित शर्ते पूरी हो जाने पर मिलेगी: –

नकदी अंतरण	शर्ते
पहली बार 1500 / – रू० (गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के अंत में)	• गर्भावस्था के पहले 4 महीने के भीतर गर्भवती महिला का आंगनवाड़ी केन्द्र / स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण • कम से कम एक बार गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच, जिसमें उसे आई. एफ.ए. गोलियां दी जाये तथा टेटनस का टीका लगाया जाए। • आंगनवाडी केन्द्र / ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में कम से कम एक परामर्श सत्र में भाग लिया हो।

दूसरी बार 1500/-रू० (प्रसव के 3 महीने के बाद)	• बच्चे के जन्म का पंजीकरण • टीकाकरण (बीसीजी, डीपीटी) एवं पोलियो की दो खुराक) • विकास मोनिटरिंग तथा शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहार की पद्धति के विषय में परामर्श सत्र के कम से कम दो सत्रों में भाग लिया हो
तीसरी बार 1000/-रू० (प्रसव के 6 महीने बाद)	• 6 माह की आयु तक शिशु को केवल स्तनपान एवं पूरक आहार शुरू (मां द्वारा स्वप्रमाणित) • टीकाकरण (डीपीटी एवं पोलियो की तीसरी खुराक) • विकास मोनिटरिंग तथा शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहार की पद्धति के विषय में परामर्श सत्र के कम से कम दो सत्रों में भाग लिया हो

योजना के अंर्तगत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को गर्भ धारण करने के तुरंत बाद स्वंय को आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकरण करवाना एवं बैंक/डाकखाना में खाता खुलवाना जरूरी है ताकि नकद राशि उनके खाते में डलवाई जा सके।

विशेष अवस्था में

- गर्भपात होने पर (केवल पहली किश्त दी जायेगी)
- मरा हुआ बच्चा पैदा होने पर (दूसरी किश्त तक अदायगी की जायेगी)
- बच्चे के मरने पर (दूसरी किश्त की अदायगी की जाएगी)
- यदि लाभप्राप्तकर्ता के पास एक बच्चा है और उसके उपरांत जुड़वा बच्चा होने पर दूसरी बार भी स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकती है।

निधियन पद्धतिः –

प्रत्येक सुपरवाईजर से लाभार्थियों की सूचि प्राप्त हो जाने के बाद, बाल विकास परियोजना अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशु को स्तनपान कराने वाली माता को राशि उनके खाते में जमा करवायेंगें।

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को अर्थिक प्रोत्साहन

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रत्येक गर्भवती महिला और धात्री माता के लिए 200/–रू० की दर से एवं इसी प्रकार आंगनवाडी सहायिका को प्रत्येक लाभार्थी के लिए 100 रू० की दर से अर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

सम्पर्क करेः जिला कार्यक्रम
अधिकारी आई. सी. डी. एस. सैल. पचंकूला
फोन नं० 2590462

प्रकाशक
बेज, 15 – 20 सैक्टर – 4, पंचकूला।
निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग
हरियाणा